



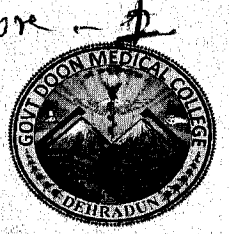
Govt. Doon Medical College, Dehradun

Office of the Principal

Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021, Email id: doonmedicalcollege@gmail.com

Website- www.gdmcuk.com

Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001



पत्रांक:-रा0दू0मे0का0/यू0जी0 अनुभाग/प्रवेश/का0आ0/2025/.....५३॥

दिनांक: ५. जुलाई, 2025

-: कार्यालय आदेश :-

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में NEET(UG)-2025 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2024-25 के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या-1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांक: 11 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 (संलग्न) में विहित शेष शर्तों को यथावत् रखते हुए नॉन बॉन्डेड छात्र-छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

नॉन बॉन्डेड (NON BONDED):

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू० में
1	शिक्षण शुल्क	1,45,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	6,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	क्रीडा शुल्क	5,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	5,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	10,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	500/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
7	मैस शुल्क	41000/-(प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)

- नीट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा नियमानुसार कॉलेज छोड़े जाने की दशा में हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र-छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉफ्ट प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रोफेशनल परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती है एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रों को देना होता है।
- कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में मैस की व्यवस्था है जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा। कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं को वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना भी अनिवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

प्राचार्य

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

तददिनांक।

पत्रांक:-रा0दू0मे0का0/यू0जी0 अनुभाग/प्रवेश/का0आ0/2025/.....

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 107 चन्द्रनगर, देहरादून।

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र-छात्राओं हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (₹ एक लाख पैंतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दरों पर ही लिया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-227(म0)/XVII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
✓

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या- XXVIII(S)/2021-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5- गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 8- कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 9- समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

प्रभु, क.

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।
2. प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 23 मई, 2013

विषय- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी नवीन बॉण्ड के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मुख्यतः पर्वतीय राज्य है जिसका अधिकांश भाग दुर्गम/अति दुर्गम है। इस भौगोलिक विषमता के कारण राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी सुदृढ़ नहीं हो पायी हैं तथा चिकित्सकों की कमी एक गम्भीर समस्या के रूप में पिछमान है। इसी परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित विधायक शासनादेश संख्या-943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 23.7.2008 तथा शासनादेश संख्या-2735/दस-2005-8(9)/2004, दिनांक 23.7.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर नवीन बॉण्ड की प्रति सलमन कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि-

1. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी यह नवीन बॉण्ड वैध होगा, जिसमें अनिवार्य राजकीय सेवा का बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले एम0बी0बी0एस0 छात्र रुपये 40,000.00 मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रुपये चालीस हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले एम0बी0बी0एस0 छात्र रुपये 4,000,00.00 मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रुपये चार लाख मात्र वार्षिक) देंगे, इसी प्रकार परास्नातक पाठ्यक्रम एम0डी0/एम0एस0 के बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले छात्र 60,000.00 रुपये मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रुपये साठ हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले छात्र रुपये 5,00,000.00 मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रुपये पांच लाख मात्र वार्षिक) देंगे।

2. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा से संबंधी संशोधित नवीन बॉण्ड में विहित अधिमान वर्ष 2013 में प्रवेशित बैच के छात्र-छात्राओं से लागू होंगे।

3. अनिवार्य राजकीय सेवा से संबंधित पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या-943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश संख्या-2735/दस-2005-8(9)/2004, दिनांक 23.07.2008 में विहित अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी प्राविधान वर्ष 2012 तक प्रवेशित बैच के संघों में यथावत लागू होंगे।

4. एन0आर0आई0(NRI) सीटों की व्यवस्था समाप्त होने के कारण अब दिनांक 1.04.2013 से उक्त संघ में पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या-943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश संख्या-2735/दस-2005-8(9)/2004, दिनांक 23.07.2008 में विहित प्रावधानों को अनिवार्य राजकीय सेवा से संबंधी संशोधित नवीन बॉण्ड के प्रावधानों के आलोक में नहीं पढ़ा जायेगा।

5. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन संशोधित बॉण्ड को प्रवेशित छात्र-छात्राओं से भराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का होगा।

और इस संबंध में संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि बॉण्ड नराले समय संबंधित मेडिकल कॉलेज यह सुनिश्चित करेंगे कि बॉण्ड में प्रतिभू (Sureties) व उनके गवाहों (Witnesses) के दस्तावेज लिये जाते समय उनके पहचान पत्रों (फोटो पहचान पत्र तथा पते का पहचान पत्र) की राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के साथ संलग्न कर ली जायें। साथ ही प्रतिभू (Sureties) की इस आशय की घोषणा कि उनके पास जम्मेदार अवलम्बिता है, का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां भी अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के साथ संलग्न कर ली जायें।

6. अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा हेतु चिकित्सा शिक्षा के एन्फारमेशन बुलेटिन में अनिवार्य रूप से उक्त बॉण्ड में विहित सूचना को उल्लिखित करते हुए उक्तानुसार वेबसाइट के लिंक को भी अंकित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त जनसामान्य में प्रचार-प्रसार हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन संशोधित बॉण्ड से संबंधित शासनादेश तथा बॉण्ड प्रपत्र को एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, विभागीय वेबसाइट तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुख लिंक के रूप में अपलोड करते हुए दर्शावेंगे, जिससे कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों तथा प्रतिभूओं को बॉण्ड में विहित आवश्यक सूचनाओं का संज्ञान हो सके और तदनुसार वे काउन्सिलिंग से पूर्व ही काउन्सिलिंग में अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में तैयारी कर काउन्सिलिंग में सम्यक् रूप से सम्मिलित हो सकें।

7. उक्त बॉण्ड की अनुपालना का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय तथा संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का होगा।

8. उक्त संघ में कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य में समय-समय पर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भायावती डकरियाल)
उप सचिव।